


# आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं

यदि आपने उन्नत तथा अद्वितीय तकनीक विकसित की है तो प्रो.वि.बो. उसकी व्यवसायीकरण के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर सकती है।



प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संवैधानिक निकाय है, स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी पर आधार, उन्नत उत्पादों के व्यवसायीकरण, प्रसंस्करण व सेवाओं के लिये, व्यवहार्य उत्पादों के लिये आर्थिक सहायता हेतु प्रोजेक्ट प्रस्ताव आमंत्रित करती है।

विविध क्षेत्रों में प्रदान की गई सहायता } हेल्थ व मेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड वेस्ट यूटिलाइजेशन, एअर एंड रोड ट्रांसपोर्ट, सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार आदि।

प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में अग्रसर – प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 31 मार्च 2010 तक रु. 3500 करोड़ की लागत पूंजी द्वारा 233 से अधिक योजनाओं को रु. 1052 करोड़ की सहायता प्रदान किया। बोर्ड द्वारा 50% तक लोन 25% एवं इक्विटी दिया जाता है।



प्रोजेक्ट फंडिंग गार्डिलाइन्स, लोन के लिए आवेदन एवं अन्य जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट देखें

प्रो.वि.बो. 30 नवम्बर, 2010 तक प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटरों(एसटीडीपी/टीबीआई) से बीज समर्थन अनुदान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है

वेबसाइट [www.tdb.gov.in](http://www.tdb.gov.in) देखें



सत्यमेव जयते

सचिव

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

विंग-ए, विश्वकर्मा भवन, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016

टेली: 011-26537349, 26540199, फैक्स: 011-26540141

व्यवसायीकरण को सक्षम बनाना